न्यूज़ टुडे

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) ने भारत में बौद्धिक संपदा (IP) फाइलिंग में वृद्धि का उल्लेख किया

भारत में पेटेंट आवेदनों की संख्या एक दशक में दोगुनी से अधिक हो गई है। इसके अंतर्गत ट्रेडमार्क आवेदनों में 2.5 गुना तथा डिजाइन फाइलिंग में 3 गुना से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है।

बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPRs)के प्रकार

- **पेटेंट:** यह किसी आविष्कार के लिए एक अनन्य अधिकार है, जो आमतौर पर 20 वर्षों की सीमित अवधि के लिए दिया जाता है।
- **ट्रेडमार्क:** ट्रेडमार्क एक विशिष्ट चिन्ह या संकेतक होता है। इसका उपयोग किसी व्यवसाय संगठन द्वारा अपने उत्पादों या सेवाओं को अन्य संस्थाओं के उत्पादों या सेवाओं से अलग दर्शाने के लिए किया जाता है।
- **औद्योगिक डिजाइन:** यह किसी उत्पाद के बाहरी रूप, डिजाइन या सजावटी पहलू को व्यक्त करता है।
- **भौगोलिक संकेतक (GI):** GI टैग का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों पर किया जाता है, जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति के कारण इन उत्पादों में विशिष्ट गुण या प्रतिष्ठा होती है।
- **कॉपीराइट:** यह अधिकार साहित्यिक, कलात्मक और वैज्ञानिक कृतियों के रचनाकारों को प्रदान किया जाता है।

IPR फाइलिंग के लिए वैश्विक संधियां और प्रोटोकॉल्स

- **पेटेंट सहयोग संधि (PCT), 1970:** यह WIPO के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसमें भारत सहित 158 सदस्य देश शामिल हैं।
  - यह एकल अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदन के माध्यम से एक साथ कई देशों में आविष्कार हेतु पेटेंट संरक्षण का प्रयास करती है।
- **ट्रेडमार्क पंजीकरण के लिए मैड्रिड प्रोटोकॉल, 1989:** इसने WIPO द्वारा प्रशासित मैड्रिड सिस्टम स्थापित किया है। यह सिस्टम वैश्विक स्तर पर ट्रेडमार्क्स को पंजीकृत और प्रबंधित करने का प्रावधान करता है।
  - इसमें 115 सदस्य हैं, जो भारत सहित 131 देशों को कवर करते हैं।
- **औद्योगिक डिजाइनों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के संबंध में हेग समझौता 1925:** इसके जरिए हेग सिस्टम की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य औद्योगिक डिजाइनों को कई देशों या क्षेत्रों में संरक्षित करना है।
  - भारत इसका सदस्य नहीं है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने हेल्थ गवर्नेंस के लिए AI पर नए सहयोगी केंद्र की घोषणा की

WHO ने नीदरलैंड में डेल्फ़्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में डिजिटल एथिक्स सेंटर को हेल्थ गवर्नेंस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर WHO सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया।

- यह केंद्र प्राथमिकता वाले विषयों पर शोध को आगे बढ़ाने और नीति निर्माण के लिए विशेषज्ञ सलाह प्रदान करेगा। साथ ही, यह स्वास्थ्य के लिए AI के नैतिक व जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए WHO के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा।

स्वास्थ्य देखभाल सेवा में AI

- **पूर्वानुमान मॉडलिंग (Predictive Modelling):** AI की मदद से रोगियों की मेडिकल हिस्ट्री, आनुवंशिक जानकारी आदि का विश्लेषण कर बीमारियां होने की आशंका या मौजूदा स्थितियों की प्रगति का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है।
- **अनुसंधान और विकास:** AI का उपयोग लक्षित क्लीनिकल ट्रायल्स की योजना बनाने और उनके निष्पादन के लिए किया जा सकता है। साथ ही, तेजी से दवाएं और वैक्सीन विकसित करने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है।
- **रोग निदान और निगरानी:** यह रोगियों की जांच, सटीक चिकित्सा इमेज पहचान तथा वैयक्तिकृत चिकित्सा (Personalized medicine) या परिशुद्ध चिकित्सा (Precision medicine) उपचार में सहायक है।
- **केयर इकॉनमी:** AI आधारित वर्चुअल असिस्टेंट चैटबॉट्स, पैटर्न रिकग्निशन और निवारक स्वास्थ्य देखभाल आदि का बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल में इस्तेमाल किया जा सकता है।

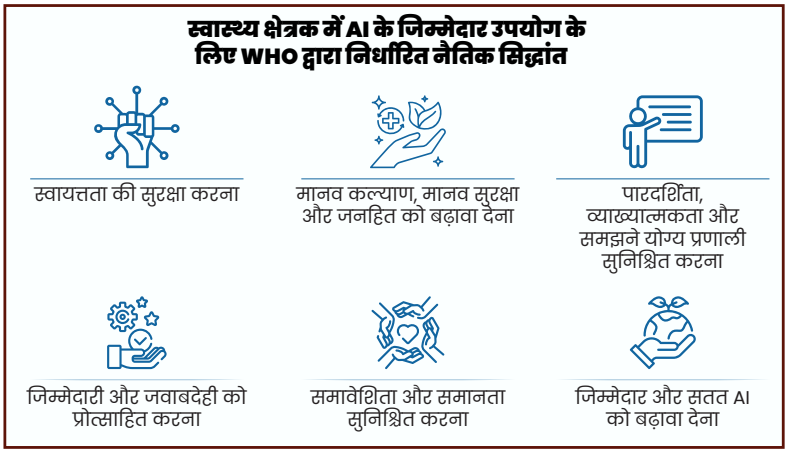

स्वास्थ्य देखभाल सेवा में AI के समक्ष चुनौतियां

- **डेटा सुरक्षा और निजता संबंधी मुद्दे:** स्वास्थ्य देखभाल सेवा में AI बड़ी मात्रा में संवेदनशील व्यक्तिगत व चिकित्सा संबंधी जानकारी उत्पन्न एवं संग्रहीत करता है। इस डेटा के लीक होने या चोरी होने का खतरा बना रहता है। इस प्रकार डेटा सुरक्षा चिंता का एक प्रमुख विषय है।
- **एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह:** AI प्रणाली में मौजूद पूर्वाग्रह के कारण कुछ व्यक्तियों या समूहों के साथ भेदभाव होने का खतरा रहता है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता बढ़ सकती है।
- **विखंडित विनियामक फ्रेमवर्क:** AI के उपयोग के लिए स्पष्ट विनियमन का अभाव है। ऐसी स्थिति में यदि AI के कारण कोई गलती होती है तो किसी एक की जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो सकता है। इसकी वजह से आम जनता में AI को लेकर अविश्वास बढ़ सकता है।

यूनेस्को ने "लैंग्वेज मैटर्स: ग्लोबल गाइडेंस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की

यूनेस्को ने **अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस (21 फरवरी) की 25वीं वर्षगांठ** पर यह रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में मातृभाषाओं के संरक्षण और प्रसार में पिछले 25 वर्षों के प्रयासों को रेखांकित किया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **विश्व की लगभग 40% आबादी** को उस भाषा में शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है, जिन्हें वे बोलते या समझते हैं।
  - निम्न और मध्यम आय वाले कुछ देशों में तो **लगभग 90% आबादी को अपनी मातृभाषा में शिक्षा नहीं** मिल रही है।
- **भारत उन दस देशों की सूची में चौथे स्थान** पर है, जहां सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती हैं।

बहुभाषी शिक्षा के बारे में

- यूनेस्को ने **बहुभाषी शिक्षा** (MLE) को **तीन भाषाओं (मातृभाषा, एक क्षेत्रीय या राष्ट्रभाषा, और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा)** के उपयोग के रूप में परिभाषित किया है।
  - भारत की नई शिक्षा नीति, 2020 भी **त्रिभाषा फार्मूले को बढ़ावा** देती है।
- यूनेस्को के **वर्ल्ड एटलस ऑफ लैंग्वेजेज** के अनुसार, दुनिया में **8,324 भाषाएं** हैं। इनमें **बोली जाने वाली भाषाएं और साइन लैंग्वेज (सांकेतिक भाषा)**, दोनों शामिल हैं।

बहुभाषी शिक्षा (MLE) क्यों महत्वपूर्ण है?

लर्निंग आउटकम में सुधार लाती है	•अतिरिक्त भाषाओं को सीखने में मदद करती है, •सामाजिक-भावनात्मक विकास में सहायता करती है, •अन्य विषयों में प्रदर्शन में सुधार करती है आदि।
शिक्षा प्राप्ति और समावेशन में सुधार लाती है	•अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्ति होती है, •उपेक्षित शिक्षार्थियों के समावेशन में मदद करती है आदि।
सतत विकास को बढ़ावा देती है	•सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण करती है, •सामाजिक समावेशन को बढ़ाती है और शांति स्थापना में मदद करती है।

बहुभाषी शिक्षा के समक्ष मुख्य चुनौतियां

- **संसाधन की कमी:** प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ-साथ बहुभाषी लर्निंग और शिक्षण पाठ्य-पुस्तकों की भी कमी है।
- **बहुभाषी नीति का विरोध:** कई देशों में स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता देने वाली नीतियों का विरोध करके राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का समर्थन किया जाता है।
- **अन्य कारण:** इनमें औपनिवेशिक प्रभाव जैसे ऐतिहासिक कारक शामिल हैं।

रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें

- **विद्यार्थियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं** में उपयोगी पाठ्य पुस्तकें तैयार करनी चाहिए। इनमें स्थानीय **संस्कृति की भावनाओं का सम्मान** किया जाना चाहिए।
- लर्निंग की **मजबूत निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली** लागू करनी चाहिए।
- **सामाजिक-भाषाई और शैक्षिक स्थिति का विश्लेषण** करके प्रभावी नीति-निर्माण को बढ़ावा देना चाहिए।

भारतीय दूरसंचार कंपनियों ने स्पेसएक्स के साथ समझौता किया

भारतीय दूरसंचार कंपनियों **एयरटेल और जियो** ने स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को भारत में लाने के लिए स्पेसएक्स के साथ समझौता किया। स्टारलिंक **विश्व का पहला और सबसे बड़ा सैटेलाइट्स का समूह है। निम्न भू-कक्षा में स्थापित यह सैटेलाइट्स समूह उच्च गति और कम विलंबता वाला ब्रॉडबैंड इंटरनेट** प्रदान करता है।

सैटेलाइट इंटरनेट या उपग्रह आधारित इंटरनेट के बारे में

- यह पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले संचार उपग्रहों के माध्यम से एक **वायरलेस इंटरनेट** को व्यक्त करता है। यह वैश्विक कवरेज प्रदान करने में सक्षम है।
- उपग्रह **लेजर के माध्यम से एक दूसरे के साथ संचार करते हैं, जिससे ग्राउंड स्टेशनों** पर निर्भरता कम हो जाती है।

स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा

- वर्तमान में, लगभग **7,086 स्टारलिंक उपग्रह** कक्षा में हैं।
- **प्रत्येक स्टारलिंक उपग्रह:**
  - **3 स्पेस लेजर (ऑप्टिकल इंटर-सैटेलाइट लिंक या ISLs)** होते हैं, जो **200 Gbps** तक की स्पीड प्रदान कर सकते हैं। अतः इनका पूरा समूह मिलकर एक वैश्विक इंटरनेट जाल का निर्माण करता है।
  - इसमें उच्च बैंडविड्थ कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए **5 एडवांस्ड Ku-बैंड फेज्ड ऐरे एंटीना और 3 ड्यूल बैंड (Ka-बैंड व E-बैंड) एंटीना का उपयोग** किया जाता है।

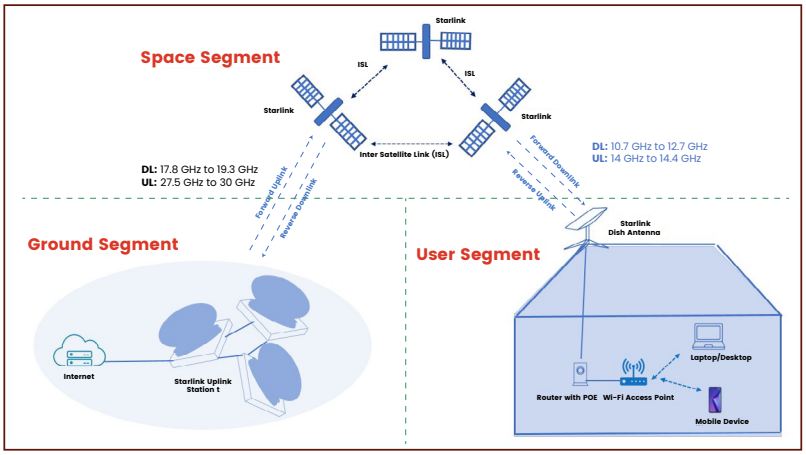

सैटेलाइट इंटरनेट का महत्त्व

- **कनेक्टिविटी पहुंच में सुधार:** यह दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए उपयुक्त है।
- **आपदाओं के दौरान कनेक्टिविटी:** स्टारलिंक ने टोंगा में विशाल ज्वालामुखी प्रस्फुटन और सुनामी के बाद कनेक्टिविटी प्रदान की थी।
- **सैन्य उपयोग:** यह सैन्य ठिकानों और सैन्य विमानों, जहाजों, ड्रोन आदि के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है।

सैटेलाइट इंटरनेट से संबंधित चिंताएं

- **खगोलीय हस्तक्षेप:** रात्रिकालीन आकाश में उपग्रहों द्वारा उत्सर्जित तेज प्रकाश खगोलीय निरीक्षणों में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
- **वायुमंडलीय परिवर्तन:** स्टारलिंक उपग्रहों की उपयोग अवधि समाप्त होने के बाद पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के दौरान उत्पन्न मलबे से वायुमंडलीय रासायनिक दशाओं में असंतुलन उत्पन्न होने का खतरा है।
- **तकनीकी सीमाएं:** इसकी सेवाओं में चरम मौसमी दशाओं और भू-चुंबकीय तूफानों से व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।

लोक सभा में 'आप्रवास और विदेशी विषयक विधेयक 2025' पेश किया गया

प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य **आप्रवास (आव्रजन) और विदेशियों से संबंधित विविध सेवाओं को सुव्यवस्थित** करना है। इसमें भारत में उनका **प्रवेश, निकास और रहना** शामिल है।

- यह विधेयक आव्रजन और विदेशियों से संबंधित सेवाओं को शासित करने वाले **मौजूदा चार कानूनों को निरस्त करता है-**
  - विदेशी विषयक अधिनियम, 1946,
  - पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम (1920),
  - विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम (1939), और
  - आप्रवास (वाहक-दायित्व) अधिनियम (2000)।
    - इनमें से तीन कानून **संविधान के लागू होने से पहले के हैं, जो प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध** के संकटकालीन समय के दौरान लाए गए थे।

विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर

- **प्रवेश करने या ठहरने से रोकने के लिए आधार:** यदि विदेशियों को राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, लोक स्वास्थ्य या विदेशी संबंधों के लिए खतरा माना जाता है, तो उन्हें देश में प्रवेश करने से वंचित किया जा सकता है।
  - इस संबंध में **आव्रजन अधिकारियों के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी** होंगे।
- **विदेशियों की ट्रैकिंग: शैक्षणिक प्रतिष्ठानों, अस्पतालों और नर्सिंग होम** जैसे संस्थानों को विदेशी नागरिकों की सूचना आव्रजन अधिकारियों को देनी होगी।
- **अन्य:** कानून के उल्लंघन पर **कठोर दंड का प्रावधान** किया गया है, जैसे- वैध दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करने पर **5 साल की कैद या 5 लाख रुपये तक का जुर्माना** आदि।

आव्रजन एवं विदेशियों से संबंधित मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था

- **विदेशियों का पंजीकरण: 180 दिनों** से अधिक अवधि के दीर्घकालिक वीजा पर भारत आने वाले **सभी विदेशियों (भारतीय मूल के लोगों सहित) को विदेशी विषयक क्षेत्रीय पंजीकरण** अधिकारी के पास पंजीकरण कराना आवश्यक है।
- **वीज़ा विनियम:** इमिग्रेशन ब्यूरो (BoI) विविध देशों के लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा प्रदान करता है।
  - BoI की स्थापना **1971 में गृह मंत्रालय** के अंतर्गत की गई थी।
- **आव्रजन (वाहक-दायित्व) अधिनियम, 2000:** यह पासपोर्ट अधिनियम का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के लिए वाहकों को जिम्मेदार बनाता है।
- **नागरिकता अधिनियम, 1955:** यह विदेशियों को **ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI)** के रूप में मान्यता और पंजीकरण को विनियमित करता है।

भारतीय प्रधान मंत्री ने मॉरीशस के प्रधान मंत्री को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड सौंपा

इससे पहले 2024 में, मॉरीशस में भारतीय प्रवासियों की **सातवीं पीढ़ी तक OCI कार्ड** का विस्तार किया गया था।

- OCI कार्ड्स **OCI कार्ड योजना** के तहत प्रदान किए जाते हैं।

OCI कार्ड योजना के बारे में

- यह योजना **2005 में नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन** करके शुरू की गई थी।
  - 2015 में, सरकार ने **भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) कार्ड** योजना का विलय OCI कार्ड योजना में कर दिया था। इसके बाद से सभी PIO कार्डधारकों को OCI कार्डधारक मान लिया गया है।
- **OCI कार्ड के लिए पात्रता मानदंड**
  - जो **26 जनवरी 1950 को या उसके बाद कभी भी भारत के नागरिक** थे।
  - जो **26 जनवरी 1950** को भारतीय नागरिक बनने के पात्र थे, या जो किसी ऐसे क्षेत्र से **संबंधित** थे, जो **15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा** बना।
  - **अपवाद:** कोई भी व्यक्ति, जिसके **माता-पिता या दादा-दादी पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी अन्य प्रतिबंधित देश के नागरिक** रहे हों, OCI कार्ड के लिए पात्र नहीं है।

OCI कार्डधारकों को मिलने वाले लाभ

- भारत आने के लिए **बहु-प्रवेश व बहु-उद्देश्यीय आजीवन वीजा का लाभ** मिलता है।
- ये **पुलिस अधिकारियों को सूचना दिए बिना किसी भी अवधि तक भारत में रह** सकते हैं।
- OCI कार्ड धारकों को **अनिवासी भारतीयों (NRIs) के समान वित्तीय, आर्थिक और शैक्षिक अधिकार** दिए गए हैं, लेकिन उन्हें भारत में **कृषि या बागान संपत्ति खरीदने की अनुमति** नहीं है।

OCI कार्डधारकों को न मिलने वाले अधिकार

- मतदान का अधिकार नहीं है।
- वे किसी विधान-मंडल या संसद के सदस्य नहीं बन सकते और न ही कोई संवैधानिक पद धारण कर सकते हैं।
- किसी भी संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र की यात्रा करने के लिए इन्हें संरक्षित क्षेत्र परमिट (PAP) लेने की आवश्यक होती है।

अन्य सुर्ख़ियां

बिल्स ऑफ लैडिंग बिल, 2025

हाल ही में, लोक सभा ने **बिल्स ऑफ लैडिंग बिल, 2025** पारित किया।

बिल्स ऑफ लैडिंग बिल, 2025 के बारे में

- यह औपनिवेशिक युग के **इंडियन बिल्स ऑफ लैडिंग एक्ट, 1856 का स्थान लेगा।**
- यह विधेयक **केंद्र सरकार को कार्यान्वयन संबंधी निर्देश** जारी करने का अधिकार देता है।
- इसमें **औपनिवेशिक तत्वों को समाप्त करने के लिए एक मानक निरसन और बचाव खंड भी शामिल** किया गया है।

नये विधेयक की आवश्यकता

- यह **शिपिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाकर और विवादों को कम** करके वैश्विक व्यापार में भारत की बढ़ती भूमिका का समर्थन करता है।
- यह **व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित** करता है और वैधानिक विवादों के जोखिम को कम करता है।
- **वाहकों, जहाजी माल भेजने वालों (Shippers) और वैध माल धारकों** के लिए स्पष्टता प्रदान करता है।

पर्वतमाला परियोजना

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम-पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत **उत्तराखंड में केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं** को मंजूरी दे दी।

पर्वतमाला परियोजना के बारे में

- **घोषणा:** इसे केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित किया गया था।
- **परियोजना के बारे में:** इसके तहत **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मोड के अंतर्गत पांच वर्षों में 250 से अधिक रोपवे परियोजनाओं को विकसित** करने का लक्ष्य रखा गया है।
- **मंत्रालय:** इसे **राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक्स प्रबंधन लिमिटेड (NHLML) के माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH)** द्वारा लागू किया जा रहा है।
- **रोपवे के लाभ:**
  - एक ही पावर-प्लांट और ड्राइव मैकेनिज्म द्वारा संचालित अनेक कारें, **निर्माण एवं रख-रखाव दोनों की लागत को कम** करती हैं।
  - **बड़ी ढलानों और अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर भी संचालित** हो सकते हैं।

वेंचर कैपिटल

भारत की वेंचर कैपिटल (VC) फंडिंग **2024 में 43% बढ़कर 13.7 बिलियन डॉलर** हो गई।

वेंचर कैपिटल के बारे में

- यह **निजी इक्विटी** का एक रूप है। यह **दीर्घकालिक विकास क्षमता वाली स्टार्ट-अप कंपनियों तथा लघु व्यवसायों के लिए वित्त-पोषण का एक प्रकार है।**
- वेंचर कैपिटल आमतौर पर **इक्विटी शेयरों या इक्विटी पर भविष्य के दावे (जैसे- परिवर्तनीय ऋण)** का रूप धारण करती है। यह बदले में वेंचर कैपिटल फर्म को **व्यवसाय में स्वामित्व का हिस्सा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान** करती है।
- उद्यम पूंजीपति या वेंचर कैपिटलिस्ट **वित्त-पोषण, तकनीकी विशेषज्ञता या प्रबंधकीय अनुभव के माध्यम से सहायता प्रदान करते हैं।**

चागोस द्वीपसमूह

भारत ने चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता के संबंध में **मॉरीशस** के रुख का समर्थन किया।

- चागोस द्वीपसमूह **1814 से ब्रिटिश नियंत्रण** में है। इसे मॉरीशस के साथ ब्रिटेन को सौंप दिया गया था।
- 1965 में इसका गठन **ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र (BIOT)** के रूप में किया गया था। वहीं, **1968 में मॉरीशस की स्वतंत्रता के बाद भी इसे ब्रिटिश नियंत्रण** में रखा गया था।
- 2024 में, यूनाइटेड किंगडम और मॉरीशस ने **चागोस द्वीपसमूह की संप्रभुता मॉरीशस को वापस करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर** किए थे।

चागोस द्वीप समूह के बारे में

- यह **हिंद महासागर** में अवस्थित **58 द्वीपों** से मिलकर बना एक **एटोल** समूह है।
- इसका सबसे बड़ा एटोल **डिएगो गार्सिया** एक प्रमुख अमेरिकी सैन्य अड्डा है।

75/25 इनिशिएटिव

अब तक, 75/25 **इनिशिएटिव** के तहत निर्धारित लक्ष्य का **89.7% हासिल** कर लिया गया है। इसमें **42.01 मिलियन व्यक्तियों को उच्च रक्तचाप और 25.27 मिलियन व्यक्तियों को मधुमेह का उपचार** प्रदान किया गया है।

75/25 इनिशिएटिव के बारे में

- **लॉन्च किया गया:** इस पहल की शुरुआत **विश्व उच्च रक्तचाप दिवस (17 मई) 2023** के अवसर पर की गई थी।
- **उद्देश्य:** दिसंबर 2025 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) के माध्यम से **उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों को मानकीकृत देखभाल** प्रदान करना।
- इसमें **राष्ट्रीय गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (NP-NCD)** के तहत रणनीतियों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

लार्ज फेज़्ड ऐरे रडार (LPAR)

चीन ने कथित तौर पर **म्यांमार सीमा के पास युन्नान प्रांत** में एक नया **लार्ज फेज्ड ऐरे रडार (LPAR)** तैनात किया है। इसकी वजह से भारत पर उसकी निगरानी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

- LPARs बैलिस्टिक मिसाइलों सहित कई लक्ष्यों को अत्यधिक सटीकता के साथ ट्रैक कर सकते है। ये **प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और वायु रक्षा नेटवर्क** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- पारंपरिक रडार के विपरीत, जो यांत्रिक घुमाव पर निर्भर करते हैं, LPARs **इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित एंटीना** का उपयोग करके विशाल क्षेत्रों को शीघ्र स्कैन करने में सक्षम हैं।
- चीन के अलावा, **केवल अमेरिका और रूस** ही ऐसे LPAR सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं।

जीन-संपादित केले

हाल ही में, **यूनाइटेड किंगडम की एक बायोटेक कंपनी ने जीन-संपादित केले विकसित किए हैं। इनकी महत्वपूर्ण विशेषता** यह है कि **कटाई और परिवहन के दौरान आपस में या किसी अन्य वस्तु से टकराने** पर भी इनका रंग **भूरा नहीं** होता है।

केले का भूरा होने की प्रक्रिया

- केला अपने संपूर्ण जीवन चक्र में कई रंग बदलता है। आरंभ में इसका रंग हरा होता है, फिर चमकदार पीला हो जाता है, और अंत में अस्वादिष्ट भूरा हो जाता है।
- केले के रंग में बदलाव इसके **पकने की प्रक्रिया का परिणाम** है, जो **एथिलीन नामक एक हार्मोन** के कारण होता है।
- एथिलीन हार्मोन **एंजाइम पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज (PPO) के उत्पादन से जुड़े जीन की गतिविधि** को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से **केले का रंग भूरा** हो जाता है।
  - जीन-संपादित केले में, **PPO से जुड़े जीन को निष्क्रिय कर** दिया जाता है।

UAPA, 1967

हाल ही में, गृह मंत्रालय (MHA) ने जम्मू और कश्मीर स्थित एक संगठन को **गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत गैर-कानूनी संगठन** घोषित किया है। साथ ही, इस संगठन पर पांच साल का प्रतिबंध भी लगाया है।

गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसे नक्सलबाड़ी विद्रोह जैसे अलगाववादी आंदोलनों के खिलाफ **गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अध्यादेश, 1966** के रूप में पेश किया गया था।
- **उद्देश्य:** इसमें व्यक्तियों और संगठनों की कुछ गैर-कानूनी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम तथा आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए प्रावधान किए गए हैं।
- **2019 के संशोधन में जोड़े गए प्रमुख प्रावधान:**
  - राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) का महानिदेशक अब आतंकवाद से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने की मंजूरी दे सकता है। इससे जांच में तेजी आएगी।
  - **केंद्र सरकार किसी संदिग्ध व्यक्ति को आतंकवादी** घोषित कर सकती है।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

आर्मेनिया (राजधानी: येरेवान)

भारत ने **चिकित्सा उत्पादों के विनियमन के क्षेत्र में सहयोग** के लिए आर्मेनिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

आर्मेनिया के बारे में

- **भौगोलिक अवस्थिति:**
  - **अवस्थिति:** यह **ट्रांसकाकेशिया** (काकेशस पर्वत के दक्षिण में आबादी वाला क्षेत्र) का एक **स्थलरुद्ध** देश है।
  - **सीमा:** यह **अजरबैजान, नागोर्नो-काराबाख गणराज्य (विवादित क्षेत्र), तुर्की, नखचिवन स्वायत्त गणराज्य (अजरबैजान का एक एक्स्क्लेव), जॉर्जिया और ईरान** के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है।
    - **नागोर्नो-काराबाख,** अजरबैजान में नृजातीय **अर्मेनियाई एन्क्लेव** है। यह क्षेत्र **1988** से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष का कारण बना हुआ था। हाल ही में इस समस्या का समाधान कर लिया गया है।
- **भौगोलिक विशेषताएं:**
  - **सबसे ऊँची चोटी:** माउंट अरागेट्स (अलाघेज़)।
  - **नदियां:** अरास नदी आदि।